



2026:AHC:22370-DB

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

अपराधिक विविध रिट याचिका संख्या - **29240/2025**

चंदन सिंह @ राहुल सिंह
..... याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 2 अन्य
..... प्रतिवादी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : सुरेंद्र प्रसाद यादव

प्रतिवादी के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 45

माननीय राजीव गुप्ता, न्यायमूर्ति

माननीय अचल सचदेव, न्यायमूर्ति

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के विद्वान शासकीय अधिवक्ता को सुना गया तथा रिकॉर्ड का परिशीलन किया गया।
2. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने न्यायालय के समक्ष यह बयान दिया है कि समय बीतने के साथ, प्रस्तुत रिट याचिका निष्प्रभावी हो गई है, अतः वे इस याचिका पर आगे दबाव नहीं डालना चाहते हैं और इसे वापस लेना चाहते हैं।
3. राज्य के विद्वान शासकीय अधिवक्ता उपरोक्त तथ्यों का खंडन नहीं कर सके।
4. उपरोक्त के आलोक में, प्रस्तुत रिट याचिका निष्प्रभावी हो जाने के आधार पर खारिज की जाती है।

2 फरवरी, 2026

के.यू.

(अचल सचदेव, न्यायमूर्ति) (राजीव गुप्ता, न्यायमूर्ति)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"